

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-5 / खेल विंग) विभाग

क्रमांक : 15(9) / का / क-5 / खेल विंग / 2022

जयपुर, दिनांक – 14/10/२०२२

1. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्र. शासन सचिव/
शासन सचिव, वि. शासन सचिव
2. समस्त संभागीय आयुक्त
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
4. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान

विषय :- नवम् राजस्थान राज्य अन्तर्राज्यीय सिविल सेवा प्रतियोगिता 2022–23
के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्मिक विभाग के तत्वाधान में जिला कलक्टर, जोधपुर के माध्यम से नवम् राजस्थान राज्य अन्तर्राज्यीय सिविल सेवा प्रतियोगिता 2022–23 का जोधपुर जिले में दिनांक 15.12.2022 से 17.12.2022 तक आयोजन कराया जाना विचाराधीन है। इस प्रतियोगिता में राज्य के 7 संभाग एवं जयपुर मुख्यालय (शासन सचिवालय, जयपुर एवं जयपुर स्थित विभिन्न विभागों के प्रधान कार्यालयों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी) की टीम भाग लेगी।

कृपया प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम की सूचना दिनांक 20.11.2022 तक प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता जिला कलक्टर, जोधपुर को आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रतिभाशाली अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतियोगिता में व्यापक भागीदारी हो सके, इस हेतु कृपया समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का श्रम करावें।

संलग्न : दिशा-निर्देश

भवदीय

(डॉ मुकुट बिहारी जांगिड)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्था कराने का श्रम करावें। इस हेतु संबंधित बजट की स्वीकृति पृथक से जारी की जायेगी।
2. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र एवं संलग्न दिशा-निर्देशों को विभागीय वेबसाईट पर न्यूज बोर्ड पर अपलोड/डिस्प्ले कराने का श्रम करावें।
3. अवधाता, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र एवं संलग्न दिशा-निर्देशों को शासन सचिवालय के समस्त नोटिस बोर्ड पर चर्चा कराने का श्रम करावें।

संयुक्त शासन सचिव

नवम राजस्थान राज्य अन्तर्राज्यीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता 2022–23 हेतु दिशा-निर्देश

- प्रतियोगिता का नाम, अवधि तथा स्थान :-** इस प्रतियोगिता का नाम नवम् राजस्थान राज्य अन्तर्राज्यीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता 2022–23 होगा। यह प्रतियोगिता दिनांक 15.12.2022 से 17.12.2022 तक जयपुर जिले में आयोजित कराई जायेगी।
- प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के नाम :-** राज्य के 7 संभागों की 7 टीम एवं 8वीं टीम जयपुर मुख्यालय (शासन सचिवालय, जयपुर एवं जयपुर स्थित विभिन्न विभागों के प्रधान कार्यालयों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी) की निम्न प्रकार से होगी :–

क्र.सं.	टीम का नाम	क्र.सं.	टीम का नाम
1.	जयपुर संभाग	5.	जोधपुर संभाग
2.	अजमेर संभाग	6.	भरतपुर संभाग
3.	उदयपुर संभाग	7.	कोटा संभाग
4.	बीकानेर संभाग	8.	जयपुर मुख्यालय

3. खेलवार खिलाड़ियों की संख्या :-

क्र.सं.	खेल का नाम	उपलब्ध कराई जाने वाली खेल पोशाक का विवरण	टीम के सदस्य			कुल खिलाड़ी
			पुरुष	महिला	मैनेजर	
1.	टेबल टेनिस	फुल ट्रेक सूट, नेकर एवं टी-शर्ट/बनियान	7 (5+2 Veterans)	—	1	8
2.	वॉलीबॉल	फुल ट्रेक सूट, नेकर एवं टी-शर्ट/बनियान	12	—	1	13
3.	कबड्डी	फुल ट्रेक सूट, नेकर एवं टी-शर्ट/बनियान	12	12	2	26
4.	टेनिस	फुल ट्रेक सूट, नेकर एवं टी-शर्ट/बनियान	7 (5+2 Veterans)	—	1	8
5.	फिकेट	लोअर, टी-शर्ट	16	—	1	17
6.	बैडमिंटन	फुल ट्रेक सूट, नेकर एवं टी-शर्ट/बनियान	7 (5+2 Veterans)	4	2	13
7.	बॉस्केटबॉल	फुल ट्रेक सूट, नेकर एवं टी-शर्ट/बनियान	12	—	1	13
कुल खिलाड़ी						98

4. टीमों का फ्लेग एवं किट (खेल पोशाक) का रंग :-

- संभाग की टीमों को अपने संभाग की टीम के ध्वज एवं निर्धारित किट (खेल पोशाक) के साथ ही प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जायेगा।
- खेल पोशाक पर टीम का नाम एवं टी-शर्ट/बनियान पर खेल नियमानुसार चेस्ट नम्बर अंकित होना आवश्यक है।
- सभी टीम के प्रतिभागियों को निर्धारित किट (खेल पोशाक) एवं फ्लेग आयोजनकर्ता (संबंधित जिला कलक्टर) के द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।
- टीमों के किट (खेल पोशाक) एवं फ्लेग (6' x 3') का रंग निम्न प्रकार से होगा :–

क्र.सं.	टीम का नाम	किट (खेल पोशाक) एवं फ्लेग हेतु निर्धारित रंग
1.	जयपुर संभाग	नेवी ब्लू
2.	अजमेर संभाग	हल्का आसमानी
3.	उदयपुर संभाग	मेहरून
4.	बीकानेर संभाग	काला
5.	जोधपुर संभाग	रामा ग्रीन
6.	भरतपुर संभाग	स्लेटी
7.	कोटा संभाग	हल्का भूरा
8.	जयपुर मुख्यालय	सफेद

5. प्रतियोगिता में भाग लेने की पात्रता :–राजकीय विभागों में नियमित रूप से नियुक्त सभी संवर्गों के अधिकारी/कर्मचारी पात्र होंगे।

6. **प्रतियोगिता में भाग लेने की अपात्रता :-** निगमों/मण्डलों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारी/कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, ठेका श्रमिक संविदा अधिकारी/कर्मचारी, कार्यप्रभारित अधिकारी/कर्मचारी एवं पुलिस विभाग के बैल्टधारी अधिकारी/कर्मचारी अपात्र होंगे।

7. प्रतियोगिता (इवेन्ट) का निरस्तीकरण :-

- टेबल टेनिस, टेनिस एवं बैडमिंटन में पर्याप्त एवं स्तरीय प्रविष्टि प्राप्त नहीं होने पर संबंधित खेल के इवेन्ट को निरस्त करने का अंतिम निर्णय आयोजन समिति के अध्यक्ष का होगा।
- महिलाओं की श्रेणी में कम से कम 4 एन्ट्री प्राप्त होने पर ही प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी।
- प्रतियोगिता का प्रचार–प्रसार :-** संबंधित जिला कलक्टर/संबंधित विभागों द्वारा प्रचार–प्रसार किये जाने के लिए की गई कार्यवाही का पत्र/आदेश की प्रति संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भिजवाई जायेगी तथा समाचार पत्र/SMS/e-mail/whatsapp के माध्यम से भी प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

8. टीम के चयन की प्रक्रिया :-

- संभाग की टीम के चयन हेतु :– संबंधित संभागीय आयुक्त द्वारा अपने संभाग की टीम के चयन द्रायल के लिए खिलाड़ी अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी के माध्यम से निम्न प्रारूप में आमंत्रित करेंगे :–

क्रसं	खेल का नाम	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाइल नं.	e-mail id
-------	------------	-----	-------	-------	------------	-----------

- जयपुर मुख्यालय की टीम के चयन हेतु :– जयपुर मुख्यालय (शासन सचिवालय, जयपुर एवं जयपुर स्थित विभिन्न विभागों के प्रधान कार्यालयों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी) की टीम के चयन द्रायल के लिए संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर खिलाड़ी अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी के माध्यम से अग्रेषित करवा कर निम्न प्रारूप में आमंत्रित करेंगे :–

क्रसं	खेल का नाम	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाइल नं.	e-mail id
-------	------------	-----	-------	-------	------------	-----------

- विभाग द्वारा किसी खिलाड़ी अधिकारी/कर्मचारी को रिलीव नहीं करने का निर्धारित समय पर स्पष्ट कारण सहित पूर्ण सूचना भिजवानी होगी।
- यदि कर्मचारी/अधिकारी स्वयं विभागाध्यक्ष है, तो प्रशासनिक विभाग को भी प्रति भिजवानी होगी।
- प्रत्येक प्रतियोगी को अपने नियत्रणाधीन अधिकारी से नवीन पासपोर्ट साईंज के फोटो युक्त परिचय पत्र प्रमाणित करवाकर साथ लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

- आवेदन पत्रों का संकलन :— संबंधित संभागीय आयुक्त द्वारा अपने संभाग की टीम के चयन द्रायल के लिए प्राप्त उक्त प्रारूप में भिजवाई जायेगी।
- चयनित टीम की सूचना :— संबंधित संभागीय आयुक्त द्वारा अपने संभाग की टीम के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदन पत्रों की सूचना खेलवार संकलित कर संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को अनुसार उपरिथित खिलाड़ियों में से टीम का चयन कर सूचना निम्न प्रारूपानुसार प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता को भिजवाते हुये प्रतिलिपि संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भिजवाई जायेगी :—
 - प्रतियोगिता का नाम
 - टीम का नाम
 - खेल का नाम
 - चयन द्रायल का स्थान
 - चयन किये जाने खिलाड़ियों की संख्या
 - चयनित खिलाड़ियों का विवरण निम्न प्रारूपानुसार

क्रम	खेल का नाम	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाइल नं.	e-mail id
	हस्ताक्षर चयनकर्ता (नाम मय पदनाम)					
- रिजल्ट शीट :— खेल गे चयन हेतु तैयार की गई रिजल्ट शीट भी भेजी जावें।

9. प्रतियोगिता का प्रारूप :—

- प्रतियोगिता में किसी भी टीम के निर्धारित समय से 15 मिनिट पश्चात् तक भी प्रतियोगिता स्थल पर रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में उपरिथित विपक्षी टीम को वॉकओवर देकर विजेता घोषित कर दिया जायेगा।
- यदि किसी प्रतियोगी को रैफरी के निर्णय पर कोई आपत्ति हो तो वह मैच समाप्त होने के आधा घण्टे के भीतर रु. 500/- जमा कराकर प्रोट्रेस्ट कर सकता है।
- प्रोट्रेस्ट पर आयोजन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- मैच के दौरान अनुशासनहीनता पर खिलाड़ी को प्रतियोगिता से रैफरी के द्वारा बाहर किया जा सकता है।
- अनुशासनहीनता की अपील बाद में आयोजन समिति को आधे घण्टे में करनी होगी, जिस पर आयोजन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- कर्मचारी/अधिकारी एक खेल में ही भाग ले सकेंगे। दो खेलों में भाग लेने पर संबंधित टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जायेगा।

10. अनुशासनात्मक कार्यवाही :—

- खेल प्रतियोगिता अवधि के दौरान सभी खिलाड़ियों को पूर्ण रूप से खेल अनुशासन एवं राजकीय सेवा नियमों को ध्यान में रखते हुए भाग लेना होगा। अन्यथा शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित खिलाड़ी/टीम के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

11. खेल के नियम :—

- प्रतियोगितायें वर्तमान में प्रचलित राष्ट्रीय स्तर के नियमों के आधार पर आयोजित की जायेगी।
- प्रतियोगिता के दौरान रैफरी का निर्णय अंतिम होगा।
- सभी मैच लीग कम नॉक आउट आधार पर खेले जायेंगे।
- प्रतियोगिता टीम स्पर्धा के रूप में आयोजित की जायेगी।
- टेबल टेनिस, टेनिस एंव बेडमिंटन में सभी मैच बेरस्ट ऑफ थी के फॉरमेट में आयोजित किये जायेंगे। प्रथम मैच पुरुष डबल, द्वितीय मैच वेटर्न (45 वर्ष से ऊपर) डबल, तृतीय मैच पुरुष सिंगल का होगा।


12. राज्य सरकार द्वारा देय सुविधा :— प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कार्मिकों को नियमानुसार विशेष आकर्षित अवकाश एवं ठीए/डीए देय होगा।

13. प्रतियोगिता में तकनीकी सहयोग :—

- रैफरी को रु. 300/- प्रतिदिन की दर से गानदेय दिया जायेगा।
- प्रतियोगिताओं के सफल संचालन के लिए विवालीफाईड रैफरी संबंधित राजनीय संघ/शिक्षा विभाग से लिये जायेंगे।
- आयोजनकर्ता के सहयोग हेतु खेल अधिकारी, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ऑब्जर्वर के रूप में उपरिथित रहेंगे।

14. आयोजनकर्ता के कार्य :—

- उद्घाटन एवं समापन समारोह की व्यवस्था।
- प्रतियोगिता अवधि एवं समारोह के लिए टेंट/गाईक आदि की व्यवस्था।
- प्रमाण-पत्र, पुरुषकार (रनर एवं विनर) एवं स्मृति चिन्ह की व्यवस्था।
- प्रतियोगिता के संचालन, मैदान एवं खेल उपकरण की व्यवस्था।
- टीमों के आवास व्यवस्था आदि।
- अन्य आवश्यक व्यवस्था एवं कार्य।
- प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार का वाद-विवाद होने पर अंतिम निर्णय आयोजनकर्ता का होगा।
- प्रतियोगिता आयोजनकर्ता प्रतियोगिता की प्रगति रिपोर्ट मान, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।


 (डॉ मुकुट दिहारी जांगिड)
 संयुक्त शासन सचिव